आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 322 / 2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बजाज फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय मुम्बई पुणे रोड, अकुर्डी, पुणे महाराष्ट्र 411035 शाखा कार्यालय पांचवीं मंजिल, मंगलम एम्बीशन टावर, डी– 46–बी, अशोक सर्किल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनय सोबती ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री एम. पी. डिस्ट्रीब्यूटर्स जरिये प्रोपराईटर गौरव भटनागर
   कार्यालय शॉप नम्बर 13–11, लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर।
2. श्री गौरव भटनागर
3. श्रीमती रश्मि भटनागर पत्नी नवनीत भटनागर
   पता :– 92 / 267, शिप्रा पथ, नियर पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं मालिक

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों को ऋण खाता संख्या 419LAP21115092 में दिनांक 31.03.2016 को राशि 56,50,000 / –रूपये, अप्रार्थी रश्मि भटनागर के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर बी–17, गुरु कालोनी, गोनेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 266.38 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 4,81,89,136 / –रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त, 2016 के कम संख्या 182 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 56,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 57,25,679/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रश्मि भटनागर के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर बी–17, गुरू कालोनी, गोनेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 266.38 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

8. आदेश आज दिनांक 21.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर